सं0—54 / XXV III—5—2006—09 / 2006

प्रेषक,

अतर सिंह,,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग—5

देहरादून: दिनांक :24 मार्च, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005—06 में कर्णप्रयाग,जनपद चमोली में शव—विच्छेदन गृह के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0—7प / श0वि0गृ0 / 44 / 2005 / 1819 दिनांक 12.1.2006 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2005—06 शव—विच्छेदन गृह,कर्णप्रयाग,चमोली के भवन निर्माण हेतु रू0 14,10,000(रूपये चौदह लाख दस हजार मात्र)की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रू0 14,10,000(रूपये चौदह लाख दस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0—15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों के व्ययवर्तन द्वारा व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1— एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2— कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरुप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3— उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् परियोजना प्रबन्धक ,उत्तरांचल पेयजल निगम को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नही की जायेगी ।

4— स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7— कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8— एक मुश्त प्राविधन को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10— कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11— आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12— स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13— निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14— निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15— उक्त भवनों के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे ।

16— उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– 00–आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें –110 अस्पताल तथा औषधालय–03–शव विच्छेदन गृह का निर्माण, 24–वृहत निर्माण कार्य की बचत से वहन की जायेगा तथा संलग्न बी0एम0 –15 के कालम –1 की बचतों से वहन किया जायेगा ।

17— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–7271/वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/2006 दिनांक 21.03.2006 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या –54(1) /xxviii–5–06–09/06 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2–निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3–मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4–जिलाधिकारी, चमोली ।
5–मुख्य चिकित्साधिकारी ,चमोली ।
6–परियोजना प्रबन्धक,उत्तरांचल पेयजल निगम,281–पोखरियाल भवन,देहरादून रोड,ऋषिकेश ।
7–निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8–वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी. ।
9–बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून ।
10–आयुक्त कुमांयु/गढ़वाल मण्डल उत्तरांचल ।
11–गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0-54/XXVIII-5-2006-09/2006 दिनांक 24.03.2006 का संलग्नक

(वित्तीय वर्ष 2005-06)

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रस्तर - 158 अनुदान संख्या-12

बी0एम0-15

पुर्नविनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रूपये में)

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (4-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत			(क) बजट प्राविधान आवश्यकता से अधिक होने के कारण । (ख) बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण ।
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
105-एलोपैथी				110-अस्पताल तथा औषधालय			
05-रूद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण				03-शव विच्छेदन गृहो का निर्माण			
24-वृहत निर्माण कार्य-47598	-	-	47598	24-वृहत निर्माण कार्य-1409	1410	46189	
योग- 47598	-	-	47598	1409	1410	46189	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नही होता है ।

(अतर सिंह)
उप सचिव